715वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 जनवरी 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 715वीं बैठक दिनांक 19/01/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 9258/2022 M/s Akash Granite, R/o Indira Nagar, Karbai, Dist. Mahoba, UP - 210424 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (1,20,000 cum per annum) (Khasra No. 499), Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP)</u> . (EIA Query response)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 585वीं दिनांक 13/07/2022 में टॉर वॉयलेशन (TOR-Violation) की अनुशंसा की गई थी ।

प्रकरण समिति की 651वीं बैठक दिनांक 09/06/23 को प्रस्तुतकरण हुआ था, जिसमें प्रश्नाधीन खदान बीच से खुदी हुई दिख रही है इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 92 दिनांक 17/10/2022 के माध्यम से स्थल निरीक्षण प्रविदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख है पट्टेदार द्वारा यह बताया गया कि उक्त उत्खनन् नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुतीकरण के पूर्व स्वीकृत अवधि 25/09/2008 से 24/09/2018 तक के दौरान उक्त सूचना क्षेत्र पर उत्खनन् किया गया खसरा न. 499 पर अन्य खदाने संचालित हो रही है ग्राम घटहरी, तहसील – गौरीहार, जिला छतरपुर के खसरा न. 499 पर खनन कार्य किया जा रहा है। प्रस्तुत विवरण (पत्र क्रमांक 92 दिनांक 17/10/2022) में मेसर्स आकाश ग्रेनाईट का भी नाम अंकित है, जिससे यह स्पष्ट है कि खनन् कार्य सतत् जारी है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा कोई खनन् कार्य नही किया गया है । अतः संबंधित खनिज अधिकारी परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आकाश ग्रेनाईट के खनन् संचालन अवधि (25/09/2008 से 24/09/2018) का पुनः परीक्षण कर

प्रतिवेदन प्रस्तुत करे । खसरा न. 499 अन्य प्रचलित खदानो में चेनलिंग फेसिंग आदि का कार्य दृष्टिगत नही हो रहा है, अतः संबंधित खनिज अधिकारी मेसर्स आकाश ग्रेनाईट का जांच प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत करे ।

प्रकरण समिति की पूर्व 674वीं बैठक दिनांक 02/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें वायलेशन केस के संबंध में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार (एस. ओ.पी) रेमेडिएशन प्लान एवं अगमेन्डेशन प्लान प्रस्तुत करें, तत्पश्चात आपके प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने पर प्रकरण समिति की 691वीं बैठक दिनांक 18/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुत जानकारी एवं उनके द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर जानकारी मय आवश्यक एवं सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें–

1. माईनिंग विभाग द्वारा लीज क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण कर पूर्व में हुए उत्खनन का आंकलन किया जाये एवं तत्कालीन अनुमोदित माईनिंग प्लान में उल्लेखित उत्पादन क्षमता से तुलना कर अवैध उत्खनन की गणना की जावें।क्षेत्र में हुए इकोलॉजिकल डेमेज एवं उसका रेमेडियशन प्लान प्रस्तुत करें।
2. सी.टी.ओ. में उल्लेखित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन मय सहायक दस्तावेज एवं फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करेंगें।
3. सिया के निर्देशानुसार (सितम्बर 2023) खदान के विरूद्ध एम.पी.पी.सी.बी. द्वारा की गई वैधानिक कार्यवाही के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं वर्तमान स्टेटस प्रस्तुत करें।
4. खनन लीज वर्ष 2018–23 एवं 2023–28 तक नवीनीकृत की गई है। इस अवधि का उत्पादन डेटा समक्ष प्राधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति समक्ष आज दिनांक 19/01/24 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश चंद्र गुप्ता, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्णचंद्र पाण्डा, उपस्थित हुए ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण कर पूर्व में हुए उत्खनन का खनिज अधिकारी का पत्र क्रमांक 3014 दिनांक 01/12/2023 प्रस्तुत किया जिसमें खनि निरीक्षक का प्रतिवेदन संलग्न किया है। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि ग्राम घटहरी, तहसील – गौरीहार, जिला छतरपुर के खसरा न. 499 रकबा 4 हे. का खनन संचालन अवधि 25/09/2008 से 24/09/2018 की स्थिति में स्थल निरीक्षण किया गया खदान पर पूर्व से गढ्डानुमा संरचना बनी हुई जो पुरानी है, जिसकी लंबाई लगभग 50 मी. चौडाई लगभग 50 मी. गहराई लगभग 13 मी. है जो लगभग 32500 घन मीटर खुदी हुई है। खसरा न. 499 में अन्य खदाने भी संचालित है, जिनमें गढडे बने हुए है। मौके पर खदान बंद है। खनन कार्य होता हुआ नहीं पाया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना से हुई क्षति हेतु Remediation Plan प्रस्तुत किया गया। समस्त प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा प्रकरण में MOEF & CC का नोटिफिकेशन दिनांक 08 मार्च 2018 एवं दिनांक 07 जुलाई 2021 के परिप्रेक्ष्य में निम्न जानकारी प्रस्तुत कीः–

Damage Assessment Budget

S. No.	Attributes	Cost Estimation	Amount In INR Per Day
1	Air Pollution	Considering Water requirement for dust Suppression for total excavated area and approach haul road to curb fugitive emission (440 Meter) & Plantation @4 KLD for effected area.	267
		Cost of per 4KLD water for sprinkling-INR 200 (local resource rate - private water tankers)	
		Cost of 4 KLD water for sprinkling= INR 200 per day	
		Installation of Continuous Air Monitoring equipment= INR 200000	
		Total cost of AP per day (INR)	
2	Water Pollution	Major water pollution envisioned: Explore possibility of ground water table intersection Runoff water outside the lease and estimate damage caused considering period of violation in Rs. Per day	NA
3	Solid & Hazardous Waste Mgt.	When there is an overburden; Overburden (Cubic Meter), Charge-INR 10*2 (lifting and shifting) per cubic meter handling assuming fresh first year mining	20
4	Trucks Plying	No of Covered Trucks Plying from Mine Lease to Main road per day carrying minerals per day=3 Water sprinkling required (KLD) to curb fugitive emission due to vehicular movement=1 KLD Cost of water sprinkling in rupees per day (already covered in S. No. 1 in attributes A.P.) No of compensatory tree plantation to encounter vehicular emission in No. of trees for five years-500 Distance between trees-2m*2m Spacing Costing of Per Plant plantation-60 Total	20

5	Noise & Vibration	Existence of properties/env. Entities within 500 meter of blasting site and if damaged due blasting Nos of such properties /env. Entities Built up area of each property/env. Entities Cost of reconstruction of properties (total) considering current construction cost	0
6	Green Belt	Green Belt developed in approx. 17% of leased area: Green Belt area in M2-6800 m2 Presume 1 Plant per 2*2 M2 is to be planted Cost of single plant- 60 Trees to be planted in the 33% of the total area @1200 plant/Hectare-1584 Plants already covered in (TP)=500 Remaining plants-1084 Total	43
7	Hydro Geology	No major HG issues envisioned, considering ground water is not interception	NA
		If intersection of ground water is made, cost of one-time remediation plan after estimating extent of contamination of ground water	0
8	Risk and Hazrad /Occupational Health & Safety	No of workers required per year- 12 Cost of Half Yearly Health Check-up for the workers INR @400/- Year Cost of PPE per worker per year @500 INR Cost of OHS per day= Cost of Health check-up + Cost of PPE	36
9	Soil Conservation	Cost of Preservation Handling and Reuse of Top soil	167
Total			**553**

Considering above following details shall be furnished

(A) Cost incurred due to EMP Year wise (INR)	16,59,000
(B) Benefits earned due to violation= Production per annum under violation * sale price announced* 15% of profit due to violation =32500*120*0.15 (INR)	5,85,000
(C) Cost of Environment Damage (A+B) (INR)	**22,44,000**

Remediation Plan Budget

S.No.	Environment Aspects	Remediation / Mitigation Measures to be	Capital Cost

		adopted	(INR)
1	Remediation for Natural Resource	Carbon sequestration through habitat improvement & adopting existing plantation of local villagers and common areas.	3,00,000
		Development of grazing land in the degraded land with help of Gram Panchayat.	5,00,000
	Total		8,00,000

Community Augmentation Budget

S.No.	**Environment Aspects**	**Remediation / Mitigation Measures to be adopted**	**Capital Cost (INR)**
1	Community Augmentation	Provision of adopting Govt. school in Village Ghatehri providing books, uniforms, stationary, furniture, meal for upgradation of infrastructure.	4,50,000
		Installation of Solar Panel for Fans & lights and Distribution of LED Bulb at Aganwadi in Village Ghatehri	6,00,000
		Development of Drinking water facility with water purifier in Govt. school in Village Ghatehri	4,00,000
	Total		**14,50,000**

Penalty:

As per SOP dated 7.07.2021

1% of the cost of the project that has been incurred till date

S. No.	Particulars	Amount
1	Total Project Cost	60,00,000
2	Cost Incurred till the date of application of the EC	16,59,000
3	Penalty	1 % of Total Project Cost + 0.25% of the turnover = 42,915

Summary of the Damage Assessment Budget

Particulars	Total Cost (INR)	Remarks	Remittance
Total project Cost	60,00,000		
Damage Assessment Cost		**INR 22,44,000**	**Project Proponent will submit this amount in the form of Bank guarantee to MPPCB**
Penalty Cost		INR 42,915	Project Proponent will submit this amount as demand draft to MPPCB
Period of violation	10 years	2008-18	

Natural resources & Community Augmentation Budget Summary

S. No.	Particulars	Amount
1	Natural resources	8,00,000

2	Community Augmentation	14,50,000
Total		**22,50,000**

Committee evaluated the reply and found satisfactory and acceptable and recommends that PP shall deposit the bank guarantee with three years validity of Rs. 22.44 Lakhs (equivalent to amount proposed in Remediation Plan /Restoration Plan) with the MP Pollution control Board after approval of the SEIAA as per the procedure laid down in the MoEF&CC Notification dated 08/03/2018.

Further, this being a violation case for which Ministry of Environment Forests & Climate Change vide its OM dated 28/01/2022, has reinstated the Standard Operating Process (SOP) dated 15/07/2021 as per the order dated 09/12/2021 of Hon'ble Supreme Court of India to deal with the violation cases. Penalty provisions as per para 12 (i) of the notification will be applicable i.e. 1% of the total project cost incurred upto date. PP has submitted 1 % of Total Project Cost + 0.25% of the turnover = Rs. 42,915 .00

The EIA/EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of **Environment Clearance** **Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (1,20,000 cum per annum) (Khasra No. 499), Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP).** subject to deposit bank gurantee of Rs. 22.44 Lakhs (equivalent to amount proposed in Remediation Plan /Restoration Plan) with the MP Pollution control Board after approval of the SEIAA, Penalty @ 1% of the total project cost incurred upto the date of filling of application i.e. Rs. Rs. 42,915 .00 as per clause 12 a.i. of MoEF&CC Notification dated 08/03/2018 and OM dated 07/07/21 and proof of credible action under section 15 read with section 19 of the Environmental (Protection) Act,1986 as per clause 11, step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21 with following conditions:

i. PP shall incurr following EMP cost: Capital Rs. 19.86 Lakh and Recurring cost Rs 7.22 Lakhs per year for project period as proposed.

ii. PP-Shri Dinesh Gupta Owner, M/**s Akash Granite, Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (1,20,000 cum per annum) (Khasra No. 499), Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist._Chhatarpur (MP)**, shall submit a Bank Guarantee of Rs. 22.44 lakh with a three years validity, towards

implementation of the proposed Remediation Plan as approved by the SEAC.

iii. As per OM dated 07/07/21 PP submitted Penalty 1 % of Total Project Cost + 0.25% of the turnover = Rs. 42,915 .00 as per clause 12 that is of MoEF&CC Notification dated 08/03/2018 and OM dated 07/07/21 and proof of credible action under section 15 read with section 19 of the Environmental (Protection) Act,1986 as per clause 11, step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.

iv. The Directions of Hon' able Supreme Court in the matter pertaining to Violation of EIA Notification shall be binding on part of the project proponents.

v. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

vi. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट मे वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

vii. परियोजना प्रसतावक द्वारा निम्नानुसार पौधा रोपण स्कीम प्रस्तावित है।

Location	**Name of Plants**	**No. of plants**
Barrier Zone	Sisso, Neem,Karanj,Jungle Jalebi, Khamer,Chirol,Khamer etc.	1812
Approach road (Minimum Height 1 m)	Kadam, Chirol,Kachnar,Neem,peeple and others	440
Distribution in farmers	Mango,Munaga, custard apple, jamun,Amrud etc.	2548
Plantation in community land	Mango,Munaga, custard apple, jamun,Amrud etc.	
Implementation agency: Through DFO/competent agency /Gram Panchayat	**Total**	**4800**

viii. For this project PP has proposed Rs 11.00 Lakh as Corporate Environment Responsibility (CER):

S. No.	Description	Cost to be incurred (in Rs/Year)
1	अधोसंरचना विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, घट्हरी के महिला बाल विकास आयोग में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी|	1,70,000
	कुल	**1,70,000**
उपर्युक्त लिखित धनराशि प्रस्तावित परियोजना से सम्बंधित गाँव के महिला बाल विकास आयोग में भू-प्रवेश के 3 माह के भीतर जमा कर इसकी सूचना माइनिंग ऑफिसर को दी जावेगी |		

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. <u>Case No 10961/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Sawari Sand Quarry in an area of 4.920 ha. (73800 cum per year) (Khasra No. 795), Village-Sawari, Tehsil-Khairlanji, District-Balaghat (MP)</u>

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो वैनगंगा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 19/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लक्ष्यकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	Shri PURAN LAKSHKAR, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A),

का नाम व पता	Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	795 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.920 hectare.
स्थल	Village Sawari, Tehsil Khairlanji District Balaghat (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–73,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–73,800 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 649 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 649 दिनांक 03/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 649 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सावरी जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–22 के सरल क्रमांक–46 पर दर्ज है ।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–73,800 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.35 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 6.85 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियांवयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज / निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधिअधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियांवयन सुनिश्चित कर / पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, साजनपुर के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी |	**30,000**

5. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	2700
2	ग्राम साजनपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	300

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में

नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. Case No 10897/2023 Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Govarde Badar Sand Mine in an area of 1.50 ha. (27000 cum per year) (Khasra No. 1191, 1), Village-Govarda, Tehsil-Manpur, District-Umaria (MP)

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो चरण गंगा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 19/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गयाप्रसाद अंजारे, श्री एन. एस अर्मु, सर्वेयर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Govarde Badar Sand Mine in an area of 1.50 ha. (27,000 cum per year) (Khasra No. - 1191, 1), Village-Govarda, Tehsil-Manpur, District-Umaria (MP) [432166].	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1191, 1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.50 hectare.
स्थल	Village-Govarda, Tehsil-Manpur, District-Umaria (M.P.).	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र	

	क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत– 27,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–27,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 984 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 984 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 984 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला **नहीं है** ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रामगढ़ जिला दमोह के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–6 दिनांक 20/08/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र में से नदी की पतली धारा निकल रही है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 09 सरल क्रमांक–07 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, द्वारा पत्र क्रमांक 52 दिनांक 12/01/2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र के अतिरिक्त अक्षांश–देशांश प्रस्तुत किये गये। समिति ने परियोजना प्रस्तावक/सर्वेयर को निर्देश दिये कि यह अतिरिक्त कार्डिनेट्स को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन कर दिया जावें तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – हार्ड कॉपी में सिया/सेक कार्यालय को प्रस्तुत किया जाये।

1. पर्यावरण प्रबंध योजना मद में केपीटल राशि रू. 3.02 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.89 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियांवयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज / निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधिअधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियांवयन सुनिश्चित कर / पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.75 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मसीरा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी |	**75,000**

5. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट) (पंक्तियों में 3 से 1 से	करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	420
2	ग्राम गोवर्दे बडार के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1380

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में

नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

4. Case No 10900/2023 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Lalpur Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (90000 cum per year) (Khasra No. 2084), Village-Lalpur, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (MP)

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो चरण गंगा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 19/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री हरीशंकर शुक्ला, श्री एन. एस अर्मु, सर्वेयर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Lalpur Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (90,000 cum per year) (Khasra No. 2084), Village-Lalpur, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (MP) [432379]	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2084 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	5.00 hectare.

स्थल	Village-Lalpur, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (MP)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत– 90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत– 90,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 573 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 573 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 573 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला **नहीं है** ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत, लालपुर जिला शहड़ोल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक– 04 दिनांक 15/05/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र आशिंक जलमग्न है एवं कुछ पेड लगे हुये है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 14 सरल क्रमांक–35 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, द्वारा पत्र क्रमांक 55 दिनांक 16/01/2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र के अतिरिक्त अक्षांश–देशांश प्रस्तुत किये गये। समिति ने परियोजना प्रस्तावक/सर्वेयर को निर्देश दिये कि यह

अतिरिक्त कार्डिनेट्स को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन कर दिया जावें तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – हार्ड कॉपी में सिया/सेक कार्यालय को प्रस्तुत किया जाये।

1. पर्यावरण प्रबंध योजना मद में केपीटल राशि रू. 3.68 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.73 लाख प्रति वर्ष ।
2. खदान क्षेत्र कुछ पेड लगे हुये है जो की नहीं काटे जायेगे
3. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियांवयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज / निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधिअधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियांवयन सुनिश्चित कर / पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय , देवरी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	1,00,000
आंगनवाड़ी केंद्र के विकास के लिए अग्रलिखित धनराशि जिला महिला बाल विकास केंद्र में जमा कराई जाएगी	25,000
Total Cost	1,25,000

6. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट) से 1 से3 पंक्तियों में (	करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	500

2	ग्राम लालपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	5500

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5. <u>Case No 10898/2023 Shri Prakash Tarodiya, Lessee, R/o Village-Bidwai, Tehsil-Badnawar, District-Dhar (MP)-454665, Prior Environment Clearance for Khuntpala Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (19400 cum per year) (Khasra No. 507), Village-Khatpala, Tehsil-Sardarpur, District-Dhar (MP)</u>

प्रकरण आज सेक की 715वीं बैठक दिनांक 19/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

6. <u>Case No 10896/2023 Shri Madhu Agrawal, Village-Bijpuri, Tehsil-Kotma, District-Anuppur (MP)-484224, Prior Environment Clearance for Dogariya Khurd Stone Quarry in an area of 2.12 ha. (15390 cum per year) (Khasra No. 57), Village-Dongariya, Tehsil-Kotma, District-Anuppur (MP)</u>

715वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 जनवरी 2024

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 19/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Madhu Agrawal, Lessee एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भरद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरमेंट कंसलटेंसी नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Madhu Agrawal, Village-Bijpuri, Tehsil-Kotma, District-Anuppur (MP)-484224, Prior Environment Clearance for Dogariya Khurd Stone Quarry in an area of 2.12 ha. (15,390 cum per year) (Khasra No. 57), Village-Dongariya, Tehsil-Kotma, District-Anuppur (MP) [440631].	
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 57,	एरिया– 2.12 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम –डोंगरिया, तहसील – कोतमा, जिला– अनूपपुर (म.प्र.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 1511 दिनांक 19/11/2015. पत्र क्र0. 1296 दिनांक 18/07/2016.	
परियोजना की श्रेणी	बी–2	
प्रस्तावित टॉर	**लागू नहीं।**	
खनन् कार्य लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Occasional Blasting(As per information Uploaded on Parivesh Portal).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	पत्र क्रमांक 876 दिनांक 23.05..2016. क्षमताः स्टोन – 12,000 cum per year.	
उत्पादन क्षमता	**स्टोन – 15,930** cum per year**.**	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1285 दिनांक 26/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 खदान स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.77 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1286 दिनांक 26/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1286 दिनांक 26/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। 100 मी. छोडकर रेल्वे लाईन है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर पालिका परिषद्	ग्राम पंचायत – डोंगरियाकलां जिला – अनूपपुर का ठहराव प्रस्ताव क्र0. दिनांक 02/10/2014 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।	

प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा– .पक्का रोड लीज क्षेत्र से लगी हुई है।
जल/वायु सम्मति वैद्यता	**लागू नहीं।**
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 15 के सरल क्रमांक– 02 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान उत्तर दिशा में एक पक्का रोड लीज क्षेत्र से लगी हुई है। निर्धारित स्थानवार मापदण्ड के अनुसार 200 मीटर का नॉन माईनिंग छोड़ने के पश्चात खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता हैं अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।

7. <u>Case No 10888/2023 Shri Manohar Solanki, Lessee, R/o Village-Lafangaon, Tehsil-Rajpur, District-Barwani (MP)-451449, Prior Environment Clearance for Kalalda Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (19400 cum per year) (Khasra No. 4/1), Village-Kalalda, Tehsil-Sendhwa, District-Barwani (MP) (DEIAA)</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 19/01/24 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Manohar Solanki, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri MANOHAR SOLANKI, Lessee, R/o- Village- Lafangaon, Tehsil-Rajpur, District- Barwani (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	4/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare
स्थल	Village Kalalda, Tehsil Sendhwa District Barwani (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 846 दिनांक 16/08/16 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बड़वानी के पत्र पृ. क्रमांक 13 दिनांक 10/05/16 द्वारा पत्थर–19,400 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–19,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–19,400 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2488 दिनांक 06/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2488 दिनांक 06/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2488 दिनांक 06/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कलालदा जिला बड़वानी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–7 दिनांक 14/04/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव अनुमोदित।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– पक्का रोड लगभग 150 मी. की दूरी पर है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 200 मी. का क्षेत्र नॉन माईनिंग छोडा गया है।
	दक्षिण दिशा– नाला 20 मी की दूरी पर है, 30 मी नॉन माईनिंग छोडा गया है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–32 के सरल क्रमांक–35 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।
समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।

ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–19400 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.13 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.74 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
6. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**
अधोसंरचना विकास योजना के तहत ग्राम पंचायत को राशि प्रदान की जाएगी।	**80,000/-**

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2040 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	नीम , खमेर, कालासिरिस, सिस्सू , करंज, चिरोल, सफेदसिरिस, पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	600
2	परिवहनमार्गमें	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज,पाकर, पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री–गार्ड के साथ	150
3	ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण	पुत्रंजीवामोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	50
4	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1240
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का निर्णय हेतु आग्रह है।

8. <u>Case No 10881/2023 Shri Yogendra Yadav, Lessee, R/o Village-Tinsiyai, Tehsil-Shamshabad, District-Vidisha (MP)-464111, Prior Environment Clearance for Bichiya Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (7695 cum per year) (Khasra No. 76/1, 78/1/1 Kha), Village-Bichhiya, Tehsil-Shamshabad, District-Vidisha (MP)</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 19/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Yogendra**

Yadav,Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri YOGENDRA YADAV, Lessee (Yogendra Singh Yadav), R/o-Village Tinsiyai, Tehsil- Shamshabad, District- Vidisha (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	76/1, 78/1/1 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड, भू–स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	1.00 hectare.
स्थल	Village Bichiya, Tehsil Shamshabad, District Vidisha (M.P.).	
लीज स्वीकृति	–	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया विदिशा के पत्र क्रमांक 1704 दिनांक 06/06/16 के द्वारा पत्थर–7,695 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–7,695 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–7,695 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1594 दिनांक 13/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1594 दिनांक 13/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1594 दिनांक 13/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की	ग्राम पंचायत बिछिया जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–8 दिनांक 15/08/12 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई	

अनापत्ति	आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में एक वेयर हाउस है जो खुद का है
	दक्षिण दिशा– खदान के पास पक्का रोड लगभग 280मीं
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–52 के सरल क्रमांक–65 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।
समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–7695 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.42 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.71 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।

5. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
6. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**
ग्राम बिछिया के अन्तर्गत आ रहे प्राथमिक स्वास्थ केंद्र एवं स्वास्थ सेवाओं के विकास हेतु रोगी कल्याण समिति में उल्लेखित राशि जमा की जावेगी	**50,000/-**

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियरजोनमें	आम, आमला, जामफल, नीम, कटहल, संतरा, जामुन, मुनगासीताफल, आदि।एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	500
2	परिवहनमार्गमें	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज,पाकर, पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री–गार्ड के साथ	100
3	ग्राम के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण	पुत्रंजीवामोलश्री,सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	50
4	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	550
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक

15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का निर्णय हेतु आग्रह है।

9. Case No 10901/2023 Shri Bhakt Singh, Project Proponent, Village & Post-Madheypur, Tehsil-Huzur, District-Rewa (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Madhyepur Stone Crusher (Gitti) Quarry in an area of 1.107 ha. (10003 cum per year) (Khasra No. 51/1/1, 51/1/2, 51/2/1, 51/2/2), Village-Maddhepur, Tehsil-Huzur, District-Rewa (MP)

प्रकरण आज सेक की 715वीं बैठक दिनांक 19/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

10. Case No 10892/2023 Shri Narendra Singh, Owner, Village-Khejra Nai, Post-Bhainsarwas Shadora, District-Ashok Nagar (MP)-473330, Prior Environment Clearance for Khejra Nai Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 31), Village-Khejra Nai, Tehsil-Shadhora, District-Ashok Nagar (MP)

प्रकरण आज सेक की 715वीं बैठक दिनांक 19/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

11. Case No 9190/2022 Shri Pankaj Joshi, 2/14, Jharenshwar Complex, Jawahar Chowk, New Market, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (25080 Cum per annum) (Khasra No. 20/1 Part), Village - LILAKHARI, Tehsil - Sehore, Dist. Sehore (MP) (EIA)

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 19/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Pankaj Joshi, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री स्वाती नामदेव, कार्डिनेटर, मेसर्स क्रिएटिव इंवायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Pankaj Joshi, 2/14, Jharenshwar Complex, jawahar Chowk, new Market Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	20/1 Part (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	ग्राम LILAKHARI तसहील एवं जिला Sehore (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 6668 दिनांक 04/06/21 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता मेटल स्टोन–25,080 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मेटल स्टोन–25,080 घनमीटर/वर्ष है।	
टॉर	सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 को अनुशंसित । सिया के पत्र क्रमांक 1318 दिनांक 04/08/22 के द्वारा मेटल स्टोन–25,080 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 702 दिनांक 16/06/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 09.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 702 दिनांक 16/06/21 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 702 दिनांक 16/06/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत लीलाखाड़ी जिला सिहोर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 08/03/2010 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed but no tree felling is proposed	

प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र के पास कृषि भूमि है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 25 मी का सेट बेक प्रस्तावित किया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि खदान के पास कुछ अस्थायी शेड दिख रहे है जो किसी अन्य खदान संचालकों के है, उनके द्वारा इस संबंध में 50 मी. का सेट बेक प्रस्तावित किया है।
	पूर्व दिशा– पक्का रोड से खदान लगभग145 मी. 65 मी का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है।
	पश्चिम दिशा– नाला लगभग 25 मी पर 75 मी का सेटबेक प्रस्तावित किया है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक–4 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मेटल स्टोन–25,080 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.55 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 05.62 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान क्षेत्र के पास स्थित कृषि भूमि से 25.मी का, पक्के रोड से 65 मी, नाले से 75 मी का एवं अस्थायी शेड से 50 मी. का सेट बेक छोडना सुनिश्चित करें।
4. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वनडाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल की गई है।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 100,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम लीलाखेड़ी के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	100,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**बैरियर जोन मे वृक्षारोपण + No Mining Zone**	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	**900**
2	**ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	**सीताफल, आवलाँ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**3500**
3	**परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (मीटर 1 पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई)**	**करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**400**
4	**बैरियर जोन मे वृक्षारोपण + No Mining Zone**	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	**900**
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. <u>Case No 10889/2023 Shri Rahul Kumar Maurya, Proprietor, R/o Kavat, Chota Udepur, District-Chota Udepur (GJ)-391170, Prior Environment Clearance for Achpal Stone Quarry in an area of 1.40 ha. (17100 cum per year) (Khasra No. 224, 225), Village-Achpai, Tehsil-Alirajpur, District-Alirajpur (MP) [DEIAA]</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 19/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Rahul Kumar Maurya, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri RAHULKUMAR MAURYA, Proprietor, R/o- Kavat Chota Udepur, District- Chota Udepur, Gujrat.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	224, 225 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.40 hectare.
स्थल	Village Achpai, Tehsil Sondwa, District Alirajpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 370 दिनांक 10/06/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 261 दिनांक 05/08/17 के द्वारा पत्थर–17,100 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–17,100 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–17,100 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1272 दिनांक 19/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1272 दिनांक 19/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1272 दिनांक 19/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अचपई जिला अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 68 दिनांक 05/12/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा लगाये गये पेड ही खदान क्षेत्र में दिख रहें है, जिन्हे काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।	
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा–पक्का रोड लगभग 220 मी.	
	दक्षिण दिशा– नाला लगभग 101 मी.	
	पूर्व दिशा– वेयर हाउस लगभग 125 मी. एवं 38 मी. पर स्टोर रूम है।	

	पश्चिम दिशा–
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–34 के सरल क्रमांक–9 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–17100 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.17 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
5. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**

ग्राम पंचायत में ग्राम आंगनबाड़ी कल्याण हेतु अधोसंरचना ग्रामविकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भूप्रवेश के 3 माह के अंदर प्रदान की जावेगी.	**70000/-**

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1700 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	**वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियरजोनमें	**नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू , करंज, चिरोल , सफेदसिरिस, पीपलआदि**एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	465पौधे
2	परिवहनमार्गमें	**नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज,पाकर, पीपलआदि**एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री–गार्ड के साथ	100पौधे
3	**ग्राम के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण**	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज,पाकर., पीपलआदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50 पौधे
4	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	**आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदि**एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1085पौधे
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

13. Case No 10920/2023 Shri Vinod Lahoti, Lessee, Lahoti Bhawan, Subhash Road, Near Post Office, Ward No. 05, Raghogarh, District-Guna (MP)-473226, Prior Environment Clearance for Allipura Stone Quarry in an area of 1.50 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 74/1/1), Village-Allipura, Tehsil-Raghogarh, District-Guna (MP) [DEIAA]

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 19/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Vinod Lahoti, Lessee एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Vinod Lahoti, Lessee, Lahoti Bhawan, Subhash Road, Near Post Office, Ward No. 05, Raghogarh, District-Guna (MP)-473226 Prior Environment Clearance for Allipura Stone Quarry in an area of 1.50 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 74/1/1), Village-**Allipura**, Tehsil-Raghogarh, District-Guna (MP) [453442] [DEIAA].
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 74/1/1, एरिया– 1.50 ha., निजी भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम–अलीपुरा, तहसील – राघौगढ़, जिला– गुना (म.प्र.).
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 464 दिनांक 27/09/2023.
परियोजना की श्रेणी	बी–2
प्रस्तावित टॉर	**लागू नहीं।**
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	**Mining will be done without blasting with the help of Rock Breaker.**
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	पत्र क्र0. 1748 दिनांक 22/11/2016.
उत्पादन क्षमता	**स्टोन – 10,000** cum per year**.**
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 647 दिनांक 24/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 1.50 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 647 दिनांक 24/11/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।

परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना . के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 647 दिनांक 24/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। 100 मी. छोडकर रेल्वे लाईन है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर पालिका परिषद्	नगर पालिका परिषद राधौगढ़ विजयपुर गुना जिला – गुना का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 574 दिनांक 01/05/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - No
	पूर्व दिशा– हॉलेज रोड लगभग 31 मी.
	पश्चिम दिशा– रेल्वे लाईन लगभग 97 मी. एवं पक्का रोड लगभग 313 मी.
जल/वायु सम्मति वैद्यता	Valid up to 17/04/2024.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 39 के सरल क्रमांक– 42 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	पी.पी ने बताया कि लगभग 100 पौधे लगाये है एवं 100 पौधे वितरित किये है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–10,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.96 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.61 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
6. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**
ग्राम अलीपुरा के अन्तर्गत आरहे प्राथमिक स्वास्थ केंद्र एवं स्वास्थ सेवाओं के विकास हेतु रोगी कल्याण समिति में उल्लेखित राशि जमा की जावेगी	60,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियर जोन के अंतर्गत	**आम, आमला, जामफल, नीम, कटहल, संतरा, जामुन, मुनगा सीताफल, आदि।**	500
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर (200 मीटर तक)	**नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।**	130
3	**ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण– 50नग**	**पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि**	50
4	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	**आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।**	1120

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का निर्णय हेतु आग्रह है।

14. <u>Case No 10890/2023 Shri Yash Bhargava, Lessee, R/o Bhargava Colony, District-Guna (MP)-473001, rior Environment Clearance for Piproda Khurd Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (19665 cum per year) (Khasra No. 61), Village-Piproda, Tehsil-Guna, District-Guna (MP) [DEIAA (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 19/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yash Bhargava, Lessee, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Yash Bhargava, Lessee, R/o Bhargava Colony, District-Guna (MP)-473001, Prior Environment Clearance for Piproda Khurd Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (19,665 cum per year) (Khasra No. - 61), Village-Piproda, Tehsil-Guna, District-Guna (MP) [433380] [DEIAA].	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 61,	एरिया– 4.00 ha., शासकीय भूमि (चारागाह)
परियोजना स्थल	ग्राम–पिपरोदा, तहसील – गुना , जिला– गुना (म.प्र.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 464 दिनांक 27/09/2023. **क्षमताः स्टोन – 19,665** cum /year**.**	
परियोजना की श्रेणी	बी–1	
प्रस्तावित टॉर	**अपलोड किया गया है।**	

खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	controlled blasting techniques, Muffle Blasting ,use of sand bags (As per information upload on Parivesh Portal).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	पत्र क्र0. 740 दिनांक 12/03/2018.
उत्पादन क्षमता	**स्टोन – 19,665** cum per year**.**
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 600 दिनांक 26/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 04 खदाने स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 14.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 600 दिनांक 26/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 600 दिनांक 26/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर पालिका परिषद्	ग्राम सभा पिपरोदा खुर्द विजयपुर गुना जिला – गुना का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 07 दिनांक 18/02/2017 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जल/वायु सम्मति वैद्यता	Valid up to 12/04/2027.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 27 के सरल क्रमांक– 28 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार उत्तर दिशा में नाला 180 मी.एवं स्टाप डेम लगभग 20 मी जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् के दौरान ब्लास्टिंग नही की जायेगी तथा खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
25. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
26. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
27. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
28. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
29. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
30. खनन् के दौरान ब्लास्टिंग नही की जायेगी तथा खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा। अतः सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित खनन योजना ई.आई.ए रिपोर्ट में प्रस्तुत करे।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

15. <u>Case No 10891/2023 Ms. Shakuntala, Lessee, R/o Chandapuri Khurd, District-Indore (MP)-`453661, Prior Environment Clearance for Bilawali Stone Quarry in an area of 6.66 ha. (Gitti-40000, M-Sand-60000 cum per year) (Khasra No. 38), Village-Bilawali, Tehsil-Bagli, District-Dewas (MP) (TOR)</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर/ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 19/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Ms. Shakuntala, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri SHAKUNTALA, Lessee, R/0- Chandapuri khurd, indore, District- Indore, (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	38 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	6.66 hectare.
स्थल	Village -Bilawali, Tehsil- Bagli, District- Dewas (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ..... के पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–40,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–40,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–60,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2026 दिनांक 16/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2026 दिनांक 16/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2026 दिनांक 16/10/23 अनुसार ग्रामीण कच्चा रास्ता प्रतिबंधित दूरी 10 मीटर एवं नाले से प्रतिबंधित दूरी 50 मीटर की दूरी से दूर है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिलावली जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 10/03/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -	
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में पाईप स्टारेज दिख रहें	
	दक्षिण पूर्व दिशा–पक्का रोड लगभग 42 मी.	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 2028 दिनांक 06/10/23 अनुसार उक्त खदान को नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर जी जावेगी ।	

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ **टॉर जारी करने की अनुशंसा करती हैः–**

1. खदान क्षेत्र में पाईप स्टारेज दिख रहें इसका डिस्पोजल प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. खदान के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में कृषि कार्य देखा गया अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पडेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पडेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. एम सेंड प्लान्ट एवं क्रशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शातें हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

16. <u>Case No 8777/2021 Shri Vishwajeet Singh S/o Shri Mahipal Singh Baghel, M.G. Road, Sonkutchh, Dist. Dewas, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.75 ha. (50009 Cum per annum) (Khasra No. 762), Village - Arniya Jagir, Tehsil - Sonkatch, Dist. Dewas (MP).</u>

प्रकरण सेक की पूर्व 608वीं बैठक दिनांक 06/12/22 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण को सिया को प्रेषित किया गया था ।

सिया की 762वीं बैठक दिनांक 27/12/2022 को खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के दोनों ओर पूर्व 24–25 मीटर व उत्तर दिशा में 12–10 मीटर पर पक्की सड़क तथा उत्तर दिशा में 85 मीटर पर आबादी परिलक्षित हो रही है एवं खदान भी पहाड़ पर है । मान्नीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा–निर्देश अनुसार खनन् प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है । उक्त निर्धारित दूरी 200 मीटर के मापदण्ड अनुसार उपरोक्त क्षेत्र की पर्यावरण संवेदनशीलता को देखते हुए तथा न्यूनतम् खनन् क्षेत्र उपलब्ध होने के कारण उक्त प्रकरण को निरस्त किया जाता है ।

उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 03/01/2023 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया है कि खदान के दोनों और जो पक्की सड़क है उसका निर्माण क्षेत्र के कलस्टर के सभी पट्टेदार द्वारा कच्ची सड़का को पक्का कर ग्रामीण मार्ग को गॉव तक डामरीकरण द्वारा पक्का किया गया है एवं उत्तर दिशा में 85 मीटर में जो आबादी है वह इस कलक्टर में कार्यरत मजदूरी के अस्थाई मकान एवं साईट ऑफिस है एवं इस खदान के खुलने से ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध होगा एवं कलस्टर में चल रही खदान संचालकों द्वारा कहा गया है कि यदि खदान चालू होती है तो इन इस्थाई मकानों को खदान के दूसरी ओर शिफ्ट कर दिया जायेगा । अतः महोदय आपसे निवेदन है कि मेरे प्रकरण को एक बार पुनः अवलोकन परीक्षण हेतु रखा जाये एवं मुझे सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक मौका दिया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वजीत सिंह एवं उनके अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री अंशुल यादव के साथ दिनांक 10/01/2023 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर उक्त प्रकरण के संबंध में बताया गया कि प्रकरण में खदान के दोनों और जो पक्की सड़क है, उसका निर्माण क्षेत्र के कलस्टर के सभी पट्टेदार द्वारा कच्ची सड़क को पक्का कर ग्रामीण मार्ग को गॉव तक डामरीकरण द्वारा पक्का किया गया है एवं उत्तर दिशा में 85 मीटर में जो आबादी है वह इस कलस्टर में कार्यरत मजदूरी के अस्थाई मकान एवं साईट ऑफिस है एवं इस खदान के खुलने के ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध होगा एवं कलस्टर में चल रही खदान संचालकों द्वारा कहा गया है कि यदि खदान चालू होती है तो इस अस्थाई मकानों को खदान के दूसरी ओर शिफ्ट कर दिया जायेगा एवं प्रस्तावित खदान में ब्लास्टिंग नहीं की जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है ।

प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों को समिति समक्ष 635वीं बैठक दिनांक 08/04/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वजीत सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम हरियाणा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के दोनों और जो पक्की सड़क है, उसका निर्माण क्षेत्र के कलस्टर के सभी पट्टेदार द्वारा कच्ची सड़क को पक्का कर ग्रामीण मार्ग को

गॉव तक डामरीकरण द्वारा पक्का किया गया है एवं उत्तर दिशा में 85 मीटर में जो आबादी है वह इस कलस्टर में कार्यरत मजदूरी के अस्थाई मकान एवं साईट ऑफिस है एवं यदि खदान चालू होती है तो इस अस्थाई मकानों को खदान के दूसरी ओर शिफ्ट कर दिया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि आबादी के कारण प्रस्तावित खदान में ब्लास्टिंग नहीं की जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत दिया गया है तथा खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा ।

समिति ने पाया कि सेक की 608वीं बैठक दिनांक 06/12/22 में सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया था, जिसके कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है :–

"आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में 200 मीटर पर आबादी, पश्चिम क्षेत्र में भी 85 मीटर पर आबादी है, दक्षिण पूर्व दिशा में 130 मीटर पर पक्का रोड़ तथा पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पुनरीक्षित अपलोडेड ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं खनन् योजना में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं की गई है तथा खनन् हेतु जैक हैमर / रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जायेगा । इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में भी 85 मीटर पर आबादी के कारण 15 मीटर का सेटबेक तथा पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ के कारण 7.5 मीटर के बेरियर जोन मे सघन वृक्षारोपण किया जायेगा । इस हेतु ग्राम पंचायत, फावड़ा पत्र दिनांक 05/12/23 द्वारा प्रमाणित किया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सेटबेक छोड़ने के बाद करीब 2.45 हे. क्षेत्र खनन् हेतु उपलब्ध होगा जो 50,009 घन मीटर प्रति वर्ष के उत्पादन हेतु पर्याप्त है" ।

समिति ने पाया कि सेक की 608वीं बैठक दिनांक 06/12/22 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति द्वारा अनुशंसा की गई थी तथा परियोजना प्रस्तावक ने आज प्रस्तुतीकरण के दौरान यह भी बताया कि आबादी के कारण प्रस्तावित खदान में ब्लास्टिंग नहीं की जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत दिया गया है तथा खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा एवं अस्थाई मकानों को खदान के दूसरी ओर शिफ्ट कर दिया जायेगा । अतः समिति द्वारा 608वीं बैठक दिनांक 06/12/22 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा में अतिरिक्त शर्त "खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम" एवं "अस्थाई मकानों को खदान के दूसरी ओर शिफ्ट" करने की शर्तो को शामिल करते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

सिया की 788वीं बैठक दिनांक 19/05/23 को चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया – *"सेक की उपरोक्त बैठक में निम्नानुसार अनुशंसा नही की गई है ..... प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल इमेज अनुसार) इस क्षेत्र में पूर्व से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है । अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का नियमानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे अथवा नहीं ।"*

सिया द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह पाया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र दिनांक 21/06/21 अनुसार प्रस्तावित खदान की 500 मीटर की परिधि में कार्यरत अन्य खदानों में परियोजना प्रस्तावक के पिता श्री महिपाल सिंह की भी खदान सम्मिलित है, जिसके द्वारा भी ई.सी. की शर्तो का परिपालन सुनिश्चित् नहीं किया गया है । अतः प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है ।''

प्रकरण समिति की 672वीं बैठक दिनांक 25/08/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया । समिति ने पाया कि डिया की ई.सी. शर्तो के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तो का पालन होना चाहिऐ था । अतएव समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देशित किया :–

- फेंसिंग के जिओटेग लेंडस्केप फोटोग्राफ्स,
- समाजिक कार्य की प्रमाणिक जानकारी
- डिया की ई.सी. शर्तो के अनुसार प्रमाणित पालन प्रतिवेदन

उपरोक्त जानकारी प्राप्त न होने के कारण समिति की 695वीं बैठक दिनांक 21/11/23 को प्रकरण को नस्तीबद्ध करने की अनुशंसा किया को प्रेषित की गई ।

सिया द्वारा रिलिस्ट कर समिति को पुनःपरीक्षण हेतु प्रेषित किया गया, जो आज दिनांक 19/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वजीत सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम हरियाणा उपस्थित हुए।

उक्त प्रकरण का परीक्षण किया गया प्रस्तुत प्रकरण नया लीज प्रकरण है। जिसकें अप्राईजल समिति द्वारा किया गया एवं अनुशंसा की गई। सिया द्वारा पास सिथत खदान जो संबंधित के पिता से रिश्ता रखती है एवं उस स्थिति में पालन प्रतिवेदन पुत्र से मांगा गया है तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

पुत्र के द्वारा आज दिनांक 19/01/2024 को ग्राम पंचायत का पत्र व कुछ छायाचित्र प्रस्तुत किए गए। मूल रूप से देखा जाये तो यदि कोई भी गतिविधि यदि पिता द्वारा अलग की जा रही है ओर पुत्र द्वारा अलग की जा रही है तो वैद्यानिक रूप से एक दूसरे के उपर कार्यो के संपादन के दृष्टिकोण से कोई जिम्मेदारी निर्भर नही करती । ऐसी स्थिति में परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वजीत सिंह बघेल (पुत्र) श्री महिपाल बघेल (पिता) के आपसी संबंधो के उपर खनन प्रकरण में पिता के खनन स्थल की जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में अनुशंसा का कोई संबंध विकसित नहीं होता ।

चुकि पुत्र पिता के खनन कार्य में पार्टनर नहीं तथा वह व्यस्क है ऐसी स्थिति में समिति द्वारा पुनः **संबंधित परियोजना प्रस्तावक के प्रकरण की अनुशंसा की जाती है।** पुराने पर्यावरण संबंधी

कार्य प्रस्तुत किये गये चुकि डिया के प्रकरण रिएप्राईसल (नये एसओपी के आधार पर) होना है। अतः प्रकरण प्राप्त होने पर समिति द्वारा पुनः रिएप्राईसल किया जावेगा।

17. <u>Case No 8464/2023</u> <u>M/s Mahalaxmi Mines & Minerals, Ward No. 4, Kamour, Tehsil - Vijayraghavgarh, Dist. Katni, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.468 ha. (7,353 cum per annum) (Khasra No.- 1179/2), Village - Mudgudi, Tehsil - Maanpur, Dist. Umariya (M.P.) (EIA)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 21/11/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री केशव प्रसाद अवस्थी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भरद्वाज, मे0. जेनिथ इंवारोमेंटल कंसलटेंसी, नोएड़ा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	M/s Mahalaxmi Mines & Minerals, Ward No. 4, Kamour, Tehsil - Vijayraghavgarh, Dist. Katni, MP, Mobile Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.468 ha. (7,353 cum per annum) (Khasra No.- 1179/2), Village - Mudgudi, Tehsil - Maanpur, Dist. Umariya (M.P.) SIA/MP/MIN/417543/2023.
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.–1179/2, एरिया– 1.468 ha., निजि भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम– मुडगुडी, तहसील – मानपुर, जिला– उमरिया, (म.प्र.).
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 15594 दिनांक 15/10/2020.
परियोजना की श्रेणी	बी–1.
टॉर स्थिति लोक सुनवाई	एस.ई.ए.सी. दिनांक 03/04/2021 496 वी बैठक टॉर अनुशंसित, टॉर पत्र क्र0. 866 दिनांक 24/05/2021. दिनांक 14/11/2022.
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित।
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।
उत्पादन क्षमता	**स्टोन – 7,353** घन मी/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2031 दिनांक 22/12/2020 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 15.307 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 15594 दिनांक 15/10/2020 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 15594 दिनांक 15/10/2020 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	ग्राम पंचायत– मुड़गुड़ी (अम्बाह) जिला – उमरिया का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 12 दिनांक 26/01/2020 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existed – 01 (Barrier Zone) Tree Felling - No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण पूर्व दिशा– आबादी < 300, कच्चा रोड़ 30 मी. एवं पक्का रोड़– 150 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 47 के सरल क्रमांक – 64 पर दर्ज है।

समिति ने गूगल इमेज में परीक्षण के दौरान पाया कि दक्षिण पूर्व दिशा– आबादी < 300, कच्चा रोड़ 30 मी. एवं पक्का रोड़– 150 मी. स्थित है इस संबंध परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह सभी हॉलेज रोड़ है। समिति ने भी सुनिश्चित किया कि यह रोड़ आबादी को जोड़ते हुए नही पाई गई अतः हॉलेज रोड़ ही है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि यह खदान क्षेत्र पूर्व में श्री बद्रीप्रसाद को आवंटित थी जो 10 वर्षो तक संचालित की गई । गूगल इमेज के अवलोकन करने पर पर्यावरण संरक्षण संबंधी कोई भी कार्य परिलक्षित नही हो रहा है । अतः संबंधित पूर्व परियोजना प्रस्तावक के विरूद्व सिया स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

1. ब्लास्टिंग के संदर्भ में प्रति होल विस्फोटक की संभावित मात्रा एवं किस अंतराल पर ब्लास्टिंग की जाना है की जानकारी के साथ विस्तृत ब्लास्टिंग प्लान प्रस्तुत करें।
2. लीज क्षेत्र में प्रस्तावित गतिविधियों को ले–आउट मे दर्शाते हुये पुर्नरीक्षित सरफेस प्लान।
3. ब्लास्टिंग एंव अन्य गतिविधियों के कारण पी.एम. 2.5 की इंक्रीमेंट वैल्यू क्या होगी स्पष्ट करें।
4. ओव्हरवर्डन एवं स्वाईल का प्रबंधन हेतु व्यय को ई.एम.पी. बजट मे सम्मिलित करते हुये प्रस्तुत करें।
5. पुर्नरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जो आज दिनांक 19/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भरद्वाज, मे0. जेनिथ इंवारोमेंटल कंसलटेंसी, नोएड़ा, उ.प्र उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए अन्य जानकारीया, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–**7,353** घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.35 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 0.15 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
मुड़गुड़ी शासकीय प्राथमिक शाला में डेस्कटॉप की व्यवस्था (प्रिंटर के साथ)	20,000
ग्राम मुदगुड़ी के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	आम, जामुन, नीम , खमेर, सिरस , चिरोल, करंज, बबूल , सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300

2	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा , कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
3	ग्रामवासियो में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No 10688/2023 Shri SATENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधकसंभागीय(कार्यालय रायसेन, Geenni Chkampaund Minakshi Chouk, Geenni Kampaund, Raisen (M.P.) Prior Environment Clearance for Motilsar Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (48000 cum per year) (Khasra No. 551), Village-Motalsir, Tehsil-Baraily, District-Raisen (MP) -B2.

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसका प्रस्तुतीकरण 698वीं बैठक दिनांक 07/12/23 को हुआ था । समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में लगभग 516 मी पर एक ब्रिज है जो मेजर ब्रिज है जिसकी लबाई 484 मी. है। **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

- परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा । परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना

प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जो आज दिनांक 19/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक सत्येन्द्र सिंह, खनिज अधिकारी श्री आर.के कैथल, सहायक खनिज अधिकारी श्री सुमित गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा **म.प्र.लोक निर्माण सेतु विभाग का पत्र क्रमांक 6454 दिनांक 19/12/2023** प्रस्तुत किया, जिसमें उल्लेख है कि पुल से खदान की दूरी 500 मी. से अधिक है, जिससे रेत उत्खनन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान से ब्रिज **की दूरी 538 मी. पर है।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–48,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू.04.34 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.73 लाख प्रति वर्ष ।
2. **खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियांवयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज / निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधिअधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियांवयन सुनिश्चित कर / पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करेंगे।**
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. Manul mmining only
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए प्राथमिक विद्यालय, मोतलसिर के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी ।	1,00,000
आंगनवाडी के विकास हेतु जिला महिला बाल विकास विभाग में भू माह के 3 प्रवेश के-भीतर अग्रलिखित धन राशि जमा कर इसकी सूचना माइनिंग ऑफिसर को दी जावेगी।	**30,000**

8. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	400
2	ग्राम मोतलसिर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	4400

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. Case No 10137/2023 Shri Mahendra Sikarwar S/o Shri Puran Singh Sikarwar, Owner, R/o Village-Kolhera, Near Chowki, District-Morena (MP)-476229, Prior Environment Clearance for Kolkhera Soil Mine in an area of 1.00 ha. (2500 cum per year) (Khasra No. 878, 886, 887, 896, 897), Village-Kolherra, Tehsil-Kailaras, District-Morena (M.P.).

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 09/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री महेन्द्र सिकरवार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/क0/ संस्थान का नाम व पता	Shri Mahendra Sikarwar S/o Shri Puran Singh Sikarwar, Owner, R/o Village-Kolhera, Near Chowki, District-Morena (MP)-476229, Prior Environment Clearance for Kolkhera Soil Mine in an area of 1.00 ha. (2500 cum per year) (Khasra No. 878, 886, 887, 896, 897), Village-Kolherra, Tehsil-Kailaras, District-Morena (M.P.). [430895].	
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा न0. – 878, 886, 887, 896, 897, ग्राम – कोल्हेरा, तह.– कैलारस, जिला – मुरैना (म.प्र.).	1.00 हेक्टेयर, निजि भूमि (सिंचित) **खसरा पी.–2 मे अन्य व्यक्तियों के नाम से जमीन दर्ज है।**
परियोजना की श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 श्रेणी, Soil Mine	
खनन् कार्यः ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	लागू नहीं। प्रकरण स्वाइल का होने के कारण ब्लास्टिंग नही की जावेगी।	
प्रकरण की स्थिति (नया/क्षमता विस्तार)	नया	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **Soil – 2500मी^{3}/वर्ष** हेतु (परिवेश पोर्टल पर	

	अपलोड जानकारी अनुसार) आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **Soil – 2500 मी^{3}/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।
सैद्वांतिक सहमति/LOI	पत्र क्र0. 1189 दिनांक 17/11/2022.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 451 दिनांक 19/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित नही है, कुल रकबा 01.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	वनसंरक्षक सामान्य वनमण्डल मुरैना के पत्र 4748 दिनांक 14/09/2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा पत्र क्रमांक 451 दिनांक 19/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में **मानव बसाहट – 250 मी. से दूर है।**
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत कैलारस, जिला मुरैना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 21/04/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा– कच्चा रोड़ 40 मीटर पर एवं पश्चिम दिशा– कच्चा रोड़ 120 मीटर पर । दक्षिण पश्चिम दिशा– 300 मीटर पर आबादी।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 451 दिनांक 19/04/2023 अनुसार अवगत कराया कि उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जो आज दिनांक 19/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज अधिकारी का पत्र क्रमांक 44 दिनांक 16/01/2024 उत्खनन कार्य पीपी द्वारा नहीं किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **Soil – 2500 मी^{3}/वर्ष** ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.67 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.66 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 80,220 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
Furniture for government school of nearby village Kolehra.	25,000
Government PHC Hospital of nearest village Kolehra- IRON Stretcher ABCO- 1 Nos @7699/- Each Wheel Chair (200 kg) Medimove- 1 Nos@5521/- Each Pulse Oximeter Contec- 2 Nos@650/- Each BP Instrument Dr. Morepen- 2 Nos@1100/-Each Bench for Hospital SS Matt 2 Seater- 1 Nos@13500/- Each	30,220
Eye/Dental awareness camp and health checkup for people and employees of village Kolehra.	25,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में 7.5)m . X 427 m (.	सीसू, नीम, करंज चिरौल, खमर आदि	566
2	खदान के परिवहन मार्ग एवं मुख्य मार्ग में वृक्षारोपण पौंधो की) न्यूनतमऊंचाई (मीटर 01	कदम, चिरौल, कछनार, नीम, पीपल, और **अन्य स्थानीय प्रजातीय।** **गार्ड-ट्री)के साथ (**	50

	ग्राम कोलेहरा, स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	आम, मूनगा, कस्टर्र सेव, जामुन, अमरूद आदि	584
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. <u>Case No 10564/2023 Shri Hirendra Pratap Singh, Leessee, R/o Mahagad, Tehsil-Manasa, District-Neemuch (MP)-458113, Prior Environment Clearance for Barthun Stone Quarry in an area of 1.69 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 1190, 1193, 1194), Village-Barthun, Tehsil-Manasa, District-Neemuch (MP)</u> (DEIAA to SEIAA)

प्रकरण आज सेक की 715वीं बैठक दिनांक 19/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

21. <u>Case No 10481/2023 Smt. Vanu Vasuniya W/o Shri Logasingh Vasuniya, Owner, R/o Ghoghadra Phailiya, Village-Mathana, District-Alirajpur (MP)-457882, Prior Environment Clearance for Mathna Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (7275 cum per year) (Khasra No. 1008), Village-Mathana, Tehsil-Bhavra, District-Alirajpur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का 688वीं बैठक दिनांक 12/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । यह प्रकरण समिति के समक्ष री–एपराईजल हेतु सिया के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रकरण में उल्लेखित खदान को जिला स्तरीय समिति द्वारा पत्र **दिनांक 16/06/2017 के माध्यम से** पर्यावरणीय स्वीकृति **जारी की गई थी।** समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण के री–एपराईजल हेतु परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करें।

1. Land status/form- PII
2. Area & Location with Khasra no.
3. Current Ekal Praman Patra

4. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
5. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
6. OB Dump and waste management with facts and figures:
7. Top soil management with soil profile:
8. Detail of old Environment Clearance with validity period:
9. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
10. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
11. Water requirement (KLD):
12. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
13. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
14. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
15. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
16. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
17. Carbon footprint.
18. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जो आज दिनांक 19/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्रीमती वानू (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति

लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	**खदान क्षेत्र में कुछ पेड है। काटे नहीं जायेगें** पी.पी ने बताया कि लगभग100 पौधे वितरित किये है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	**सामाजिक कार्य का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया**
कोई अन्य **बिंदु**	**खदान क्षेत्र में क्रशर लगा हुआ है**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–7275 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.21 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.97 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. लीज क्षेत्र में **लगे** हुये समस्त वृक्षों का संरक्षण किया जावेगा तथा एक भी वृक्ष काटने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
6. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
7. **खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।**
8. **म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन** तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
9. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 65675 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
Furniture for government school of nearby village Mathna.	10,000
Government PHC Hospital of nearest village Mathna- • IRON Stretcher ABCO- 1 Nos @7699/- Each=7699/- • Wheel Chair (200 kg) Medimove- 2 Nos@5521/- Each=27605/- • Pulse Oximeter Contec- 2 Nos@650/- Each=1300/- • BP Instrument Dr. Morepen- 2 Nos@1100/-Each=2200/- • Bench for Hospital SS Matt 4 Seater- 1 Nos@13500/- Each=13500/-	35675
Eye/Dental awareness camp and health checkup for people and employees of village Mathna.	20,000

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में 7.5)m .X 1000 m (.	महारूख, सलाई, नीम, खमेर, चिरोल, करंज, एवं सीताफल हर पेड़ के बीच में एक 4	430
2	खदान के परिवहन मार्ग एवं मुख्य मार्ग में वृक्षारोपण (1000 m) पौंधो की न्यूनतम)ऊंचाई 01 (मीटर	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय | गार्ड-ट्री)के साथ (	250
3	**ग्राम मथना** स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज, सीताफल एवं अशोक	260
4	**ग्राम मथना** के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण	जामुन, मुनगा, सीताफल, कटहल नीबू, सीताफल एवं अमरुद	260
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी

के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का निर्णय हेतु आग्रह है।

22. Case No 10589/2023 Smt. Nazma Insaf W/o Mohammad Insaf, Owner, R/o BP 73, Lake Pearl Garden, Airport Road, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP)-462030, Prior Environment Clearance for Ratanpur Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (34779 cum per year) (Khasra No. 842), Village-Ratanpur, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP). (DEIAA to SEIAA)

प्रस्तावित खदान का 692वीं बैठक दिनांक 19/10/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । यह प्रकरण समिति के समक्ष री–एपराईजल हेतु सिया के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रकरण में उल्लेखित खदान को जिला स्तरीय समिति **के माध्यम से** पर्यावरणीय स्वीकृति **जारी की गई** है। समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण के री–एपराईजल हेतु परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करें।

1. Land status/form- PII
2. Area & Location with Khasra no.
3. Current Ekal Praman Patra
4. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
5. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
6. OB Dump and waste management with facts and figures:
7. Top soil management with soil profile:
8. Detail of old Environment Clearance with validity period:
9. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
10. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
11. Water requirement (KLD):
12. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
13. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
14. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
15. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
16. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
17. Carbon footprint.
18. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जो आज दिनांक 19/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	**पिट एरिया** की **फेन्सिंग** पायी गई। लीज के चारों ओर फेन्सिग अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। **बेयिर जोन में खनन कार्य हुआ है।**
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	पी.पी ने बताया कि लगभग 600 पौधे वितरित किये है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	**सामाजिक कार्य का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया**
कोई अन्य **बिंदु**	**लीज में से हालेज रोड निकल रहा है ।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–34779 घनमीटर/वर्ष ।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.33 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 05.90 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
6. **खदान के उतर पूर्व दिशा में शेड्स हैं एवं कुछ पेड़ लगे हैं यह क्षेत्र खनन हेतु प्रतिबंधित रहेगा तथा नॉन माइनिंग क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा ।**
7. उत्तर पश्चिम **क्षेत्र** में जिसमें जल भण्डार है उस क्षेत्र में खनन प्रतिबंधित किया जाता है ।
8. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
9. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
10. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
11. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**
Awareness camps and health checkup for Eye/Dental.	50,000
10 sets of furniture provided in Govt. Higher Secondary School Barkheda Salam	30,000
Provision of drinking water supply to Ratanpur Village	25,000
Provide 2 Nos of Computer in Govt. Higher Secondary School Barkheda Salam	35,000

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	खदान के बैरियर जोन में	शीशम नीम, पीपल, खामेर, चिरौल करंज, शीशम	1156

		आदि	
2	खदान के परिवहन मार्ग एवं मुख्य मार्ग में वृक्षारोपण	पुत्रान्जिवक, आम, कटहल, खैमल, नीम, इत्यादि	50
3	**ग्राम रतनपुर** स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	इमली, आमला, नींबू, बैल, आम, जामून, कटहल इत्यादि	1797
4	**ग्राम रतनपुर** के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण	इमली, आमला, नींबू, बैल, आम, जामून, कटहल इत्यादि	1797
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

23. <u>Case No 9825/2023 Shri Shishupal Singh Yadav, Owner, R/o Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP) Prior Environment Clearance for Katakheda Flagstone Quarry in an area of 1.975 ha. (2640 Cum per annum) (Khasra No. 29/2/1) Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP)</u>

प्रकरण आज सेक की 715वीं बैठक दिनांक 19/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु

24. Case No 10499/2023 Shri Pranab Jain, Partner, M/s Eastern Minerals, Village-Harshmau, Tehsil-Niwari, District-Tikamgarh (MP)-472442, Prior Environment Clearance for Garhi-1 Pyrophillite and diaspore Mine in an area of 4.272 ha. (10648 TPA) (Khasra No. 132, 133, 135, 130, 131/2), Village-Garhi, Tehsil-Maharajpur, District-Chhindwara (MP). TOR.

परियोजना प्रस्तावक ने समिति के संज्ञान में लाया है कि उनका प्रकरण समिति की 689वीं बैठक दिनांक 13/10/2023 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ईआईए तैयार करने हेतु टॉर की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिमसें (Pyrophillite and Diaspore-40648 TPA) उल्लेखित है, जबकि अनुमोदित माइन प्लांन, परिवेश पोर्टल पर आवेदन, पीएफआर में उत्पादन क्षमता Pyrophillite and Diaspore-10648 टीपीए है ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 689वीं बैठक दिनांक 13/10/2023 को अनुशंसित टॉर में उत्पादन क्षमता Pyrophillite and Diaspore-40648 TPA के स्थान पर Pyrophillite and Diaspore-10648 टीपीए पढे जाने का निर्णय लेती है, शेष अन्य शर्ते यथावत रहेंगी ।

25. Case No 10812/2023 Shri Ved Sharma, Lessee, R/o Gautam Bihar Colony, District-Shivpuri (MP)-473551, Prior Environment Clearance for Rajapur Gudar Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (Gitti-25000, M-Sand-75000 cum per year) (Khasra No. 1041), Village-Gudar, Tehsil-Khaniyadhana, District-Shivpuri (MP)

परियोजना प्रस्तावक ने समिति के संज्ञान में लाया है कि उनका प्रकरण समिति की 709वीं बैठक दिनांक 04/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित प्रकरण में बी–1 उल्लेखित है, जबकि प्रकरण एकल पत्र दिनांक 25/12/23 अनुसार बी–2 श्रेणी का है ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 709वीं बैठक दिनांक 04/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित प्रकरण में बी–1 श्रेणी के स्थान पर बी–2 श्रेणी पढ़े जाने का निर्णय लेती है, शेष अन्य शर्ते यथावत रहेंगी ।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेथ स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.

q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
   - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
   - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
   - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
   - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
   - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
   - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
   - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

37. **FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**
   - Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
   - Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
   - A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
   - The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

38. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
40. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
41. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

42. CER योजना के अंतर्गत जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
43. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल